अपील भरण पोषण संख्या 09/2017 सुरजाराम पुत्र मुखत्यारराम जाति कुम्हार आयु 62 साल निवासी वार्ड नं 28 सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. कुलदीप पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 28, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. सोनू पुत्र सुरजाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं 28 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.01.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुरजाराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 उपस्थित आए। रेस्पोडेंट कुलदीप व सोनू की ओर से लिखिल जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 सगे पुत्र है और अपीलार्थी वृद्ध है और अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है इसलिए उसने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2017 को प्रस्तुत किया था कि उसके पुत्र कुलदीप जो कि चिनाई का मिस्त्री है और दूसरा सोनी जो कि फर्नीचर का मिस्त्री है, जिनकी दैनिक मजदूरी 700/– है। और उनकी लगभग 42000/– आय है, इसलिए अपीलार्थी को भरण पोषण दिलाया जाये। उसका आगे यह भी कथन है कि उसका एक आवासीय आहता 48 गुणा 65 वर्गफुट है, जिसकी कुछ जगह का पट्टा बना हुआ है, जिससे रेस्पोंडेंट ने अपीलार्थी को घर से निकाल दिया है, जिसका पट्टा भी उसे दिलाया जाये। उसका आगे कथन है कि प्रार्थीगण के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत है, इसलिए उसकी स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जाये और अप्रार्थीगण से उसे भरण पोषण दिलाया जाये और उसका मकान खाली करवाया जाये।

इसके विपरीत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का कथन है कि अपीलार्थी सूराजाराम, प्रार्थीगण का पिता है तथा प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के साथ निवास करता है और वे अपनी माता–पिता का अच्छी तरह से भरण पोषण करते आ रहे है और वार्ड नं 28 सूरतगढ में एक प्लॉट है, जिसमें वे अपनी माता–पिता व परिवार के अन्य सदस्यो के साथ निवास करते है। इसलिए अपील खारिज की जाये। उनकी आगे यह भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी जो कि उनका पिता है, उनकी आयु 52 वर्ष है और स्वस्थ है और किसी बीमारी से पीड़ित नही है और स्वयं ड्राईवर है और 15000/– प्रति माह कमा रहा है। इसलिए अपीलार्थी सूरजाराम की अपील खारिज करने योग्य है। उनका आगे यह भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी की आयु 52 वर्ष है इसलिए वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

मैने दोनो पक्षकारों के उक्त तर्को पर मनन किया और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावाली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के समक्ष 31.07.2017 को एक प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत रेस्पोडेंट कुलदीप व सोनू के खिलाफ भरण पोषण एवं मकान पर कब्जा दिलवाने हेतु पेश किया था। जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने निम्न आदेश पारित किया है :

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अन्य दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी के दो पुत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 है, जो शादीशुदा है। प्रार्थी की पत्नी श्रीमती पाना देवी अप्रार्थीगण के साथ रहती है। प्रकरणाधीन मकान का पट्टा प्रार्थी व उसकी पत्नी श्रीमती पाना देवी के नाम जारी है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व बहस से यह अभिनिर्धारित है कि प्रार्थी उक्त मकान में ही बने कमरें में अलग रहता है। चूंकि प्रार्थी काफी समय से अप्रार्थीगण व अपनी पत्नी से अलग रह रहा है तथा यदि प्रार्थी कुछ भी नहीं कमाता है तो अब तक जीवन निर्वाह का क्या साधन रहा, यह प्रार्थी द्वारा पत्रावली में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। प्रार्थी यदि अलग भरण पोषण चाहता है तो अप्रार्थीगण आज भी उसे अपने साथ रखकर भरण पोषण कर सकते है। प्रार्थी की पत्नी भी अप्रार्थीगण के साथ रहती है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहा कि अप्रार्थीगण उसका भरण–पोषण से इंकार कर रहे है एवं उसे मकान से बेदखल कर दिया है। प्रकरण में चूंकि संपति प्रार्थी व उसकी पत्नी के नाम है तथा प्रार्थी की पत्नी भी अप्रार्थीगण के साथ रह रही है। इस प्रकार अप्रार्थीगण पर अपने परिवार व माता के भरण पोषण का दायित्व है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को अपने साथ रखने की मंशा होने व उसका भरण पोषण करने में सहमति व राजीनामा के प्रयासों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी को नियमानुसार जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील फैसल शुमार होकर दाखित दफ्तर हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरतगढ

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सूरतगढ
श्री गंगानगर

इस मामले में यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थी उक्त अधिनियम 2007 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है अथवा नही? यदि वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है तो क्या वह रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सक्षम है और वांछित राहत रेस्पोडेन्टस से पाने की हकदार है अथवा नही? इस संबंध में अधिनियम में दी गई वरिष्ठ नागरिक/माता–पिता व संतान की परिभाषा पर सर्वप्रथम विचार करना आवश्यक होगाः–

धारा 2(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर लिया है अभिप्रेत है।

धारा 2(छ) "सम्बन्धी" से अभिप्रेत है सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक उतराधिकारी, जो अवयस्क नही है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पति का कब्जाधारी में या को उतराधिकार में प्राप्त करेगा।

धारा 2(घ) "माता–पिता" से ऐसे माता या पिता अभिप्रेत है, जो जैविक, दत्कग्राही या सौतेला पिता या सौतेली माता, यथास्थिति, हो, चाहे पिता या माता वरिष्ठ नागरिक है या नही।

धारा 2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नही है

इसके साथ ही अधिनियम की धारा 4 का भी अवलोकनकरना उचित होगा जो निम्न प्रकार से है :

4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–

(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–

(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।

(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

जहां तक रेस्पोडेंट का यह कथन कि अपीलार्थी 52 वर्ष का है, इस अधिनियम के तहत भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकता, का सम्बन्ध है कि इस अधिनियम के तहत माता–पिता अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है यदि वह अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है। संतानहीन वरिष्ठ नागरिक धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध धारा 5 के अधीन आवेदन का सकता है। अधिनियम की धारा 2(ज) के अनुसार वरिष्ठ नागरिक के लिए 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करना आवश्यक है। किन्तु माता–पिता के लिए इस अधिनियम की धारा 2(ग) के अनुसार माता पिता के लिए वरिष्ठ नागरिक होना आवश्यक नहीं है अर्थात उनके लिए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। इसलिए यदि कोई माता–पिता 60 वर्ष की आयु के न भी हो, अगर वे अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो इस अधिनियम के तहत अपनी संतान से मांग कर सकते है। इसलिए रेस्पोडेंट का यह तर्क कि अपीलार्थी 60 वर्ष न होने के कारण भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक अपीलार्थी के पास भरण पोषण के लिए पर्याप्त स्त्रोत होने का सम्बन्ध है, रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी को 52 वर्ष की आयु का होना बताकर ट्रक ड्राईवर के रूप में 15000/– मासिक आय होना बताया है।

रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत सूरजाराम के आधार कार्ड की फोटो प्रति, जो पेश की है उसमे उसका जन्म 1965 का बताया है और निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र अनुसार उसकी आयु 01.01.1995 को 30 वर्ष बताई है, जो लगभग 52 वर्ष की प्रतीत होती है। जबकि प्रार्थी ने अपनी अपील में स्वयं की आयु 62 वर्ष अंकित की है। 62 वर्ष के व्यक्ति के लिए ट्रक ड्राईवरी करना मुश्किल प्रतीत होता है और चूंकि उसकी आयु प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार 52 वर्ष है और 52 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति ट्रक ड्राईवर का कार्य करके अपनी आजीविका चला सकता है।

जहां तक अपीलार्थी के मकान के कब्जा दिलाने का प्रश्न है। प्रस्तुत विवादित प्लॉट अपीलार्थी सूरजाराम एवं उसकी पत्नी पाणीदेवी के नाम

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

पट्टा जारी है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णयानुसार प्रार्थी की पत्नी अप्रार्थीगण के साथ उसी संयुक्त प्लॉट में रह रही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी सम्पत्ति का भरण पोषण की शर्त के अधीन कोई अंतरण किया गया हो तभी उक्त अधिनियम प्रावधानों के तहत इस अंतरण को शून्य घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं। इस मामले में ऐसा कोई अंतरण नहीं है। इसलिए उक्त सम्पत्ति संयुक्त सम्पत्ति होने के कारण व भरण पोषण की शर्त के अधीन अंतरण न होने के कारण अपीलार्थी सूरजाराम की कब्जा सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।

चूंकि उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों अपीलार्थी की आयु 52 वर्ष की है और अपीलार्थी अपनी आयु 62 वर्ष बताता है और अपने पास आय का कोई स्त्रोत न होकर बताकर भरण पोषण दिलाने की प्रार्थना करता है, जबकि दूसरी तरफ रेस्पोडेंट 15000/– ट्रक ड्राईवर के रूप में आय होना बताकर भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं मानते है, इसलिए यह मामला रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जाता है और मामला इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रार्थी की आयु के सम्बन्ध में सही जांच की जाये कि अपीलार्थी 52 वर्ष का है या 62 वर्ष का है और क्या उसके पास ट्रक ड्राईवर के रूप में भरण पोषण के लिए पर्याप्त आय का साधन है अथवा नहीं। इस संबंध में उक्त दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखकर दोनों पक्षों को सुन कर, उक्त अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्णय किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

३१।१।१८

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर